पत्रांक – मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद्–03 / 2014......1095

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक..........11........,सितम्बर 2015

विषय – आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–09.09.2015 को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2015 की घोषणा हो चुकी है एवं चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।

2. उक्त के आलोक में कहना है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव में यह अंकित किया जाय कि संलेख प्रस्ताव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही अगर आवश्यक हो तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने की स्थिति में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से सहमति प्राप्त कर ही संलेख प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु भेजे जायें।

विश्वासभाजन

10/9/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार